न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 200 सन 2022

अनवान :–

1. धनश्याम पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. विनोद कुमार पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. सन्तोष पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
3. बनिता पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
4. कृष्णा पत्नी कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
5. सुमन पुत्री कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
6. शान्ति पत्नी मोमनराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
7. कमला पुत्री मोमनराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
8. सुमित्रा पुत्री मोमनराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री राजपाल झोरड अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 19/04/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 9 केएनएन के खाता संख्या 88/82 की कुल तादादी 14.1680हैक मृतक कुष्ण कुमार 1/10 हिस्सा व कमला 1/10 हिस्सा , शान्ति 1/10 हिस्सा , सुमित्रा 1/10 हिस्सा , एवं रोही मौजा चक 10 केएनएन के खाता संख्या 59/59 की कुल 2.2770हैक में कुष्ण 1/10 हिस्सा , कमला 1/10 हिस्सा , शान्ति 1/10 हिस्सा , सुमित्रा 1/10 हिस्सा , सुमित्रा 1/10 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में मोमनराम पुत्र हरसुख के नाम से दर्ज थी जो वादीगण के पूर्वज थे मोमनराम पुत्र हरसुख के देहान्त होने के बाद वादभूमि उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 एव प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 एवं कृष्ण कुमार के नाम से दर्ज हुई है जिसमें से कृष्ण कुमार का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उनकी पत्नी/पुत्र/पुत्रीया वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 4, 5 है जो कृष्ण कुमार के नाम दर्ज भूमि को विरास्तन से प्राप्त करने के अधिकारी है अर्थात वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है

प्रतिवादी संख्या 2 ता 3, 5 वादी की बहने एव प्रतिवादी संख्या 4 वादी की माता है तथा प्रतिवादी संख्या 6 वादी की दादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 ,8 वादीगण की बुआ है प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 एवं मृतक कृष्ण कुमार के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या

Scanned with CamScanner

1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में उनके पूर्वज मोमनराम पुत्र हरसुख के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 ,6 ता 8 एवं मृतक कृष्ण कुमार के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है कृष्ण कुमार का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 है जो कृष्ण कुमार के नाम दर्ज भूमि को विरास्तन से पाने के अधिकारी है इसप्रकार वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 ने निवेदन किया की प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 जो वादीगण की दादी/बुआ/बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 9 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 9 केएनएन के खाता संख्या 88/82 की कुल तादादी 14.1680हैक मृतक कुष्ण कुमार 1/10 हिस्सा व कमला 1/10 हिस्सा , शान्ति 1/10 हिस्सा , सुमित्रा 1/10 हिस्सा , एवं रोही मौजा चक 10 केएनएन के खाता संख्या 59/59 की कुल 2.2770हैक में कुष्ण 1/10 हिस्सा , कमला 1/10 हिस्सा , शान्ति 1/10 हिस्सा , सुमित्रा 1/10 हिस्सा , सुमित्रा 1/10 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में मोमनराम पुत्र हरसुख के नाम से दर्ज थी जो वादीगण के पूर्वज थे मोमनराम पुत्र हरसुख के देहान्त होने के बाद वादभूमि उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 एव प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 एवं कृष्ण कुमार के नाम से दर्ज हुई है जिसमें से कृष्ण कुमार का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उनकी पत्नी/पुत्र/पुत्रीया वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 4 , 5 है जो कृष्ण कुमार के नाम दर्ज भूमि को विरास्तन से प्राप्त करने के अधिकारी है अर्थात वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 3, 5 वादी की बहने एव प्रतिवादी संख्या 4 वादी की माता है तथा प्रतिवादी संख्या 6 वादी की दादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 ,8 वादीगण की बुआ है प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 9 केएनएन के खाता संख्या 88/82 की कुल तादादी 14.1680हैक मृतक कुष्ण कुमार 1/10 हिस्सा व कमला 1/10 हिस्सा , शान्ति 1/10 हिस्सा , सुमित्रा 1/10 हिस्सा , एवं रोही मौजा चक 10 केएनएन के खाता संख्या 59/59 की कुल 2.

Scanned with CamScanner

2770हैक में कुष्ण 1/10 हिस्सा , कमला 1/10 हिस्सा , शान्ति 1/10 हिस्सा , सुमित्रा 1/10 हिस्सा , सुमित्रा 1/10 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में उनके पूर्वज मोमनराम पुत्र हरसुख के नाम से दर्ज थी मोमनराम पुत्र हरसुख के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ,6 ता 8 एवं कृष्ण कुमार के नाम से दर्ज हुई है कृष्ण कुमार पुत्र मोमनराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 है जो कृष्ण कुमार के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है अर्थात वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादीगण का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ,5 वादीगण की बहनेएव प्रतिवादी संख्या 6 वादीगण की दादी एव प्रतिवादी संख्या 7 ,8 वादीगण की बुआ है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिन्हे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ,3 , 5 ता 8 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 9 केएनएन के खाता संख्या 88/82 की कुल तादादी 14.1680हैक मृतक कुष्ण कुमार 1/10 हिस्सा व कमला 1/10 हिस्सा , शान्ति 1/10 हिस्सा , सुमित्रा 1/10 हिस्सा कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 का 13/60 हिस्सा वादी संख्या 2 का 3/20 हिस्साव प्रतिवादी संख्या 4 का 1/30 हिस्सा का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है, एवं रोही मौजा चक 10 केएनएन के खाता संख्या 59/59 की कुल 2.2770हैक में मृतक कुष्णकुमार 1/10 हिस्सा , कमला 1/10 हिस्सा , शान्ति 1/10 हिस्सा , सुमित्रा 1/10 हिस्सा , सुमित्रा 1/10 हिस्सा कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 का 13/60 हिस्सा वादी संख्या 2 का 3/20 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 4 का 1/30 हिस्सा का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 19/04/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. धनश्याम पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. विनोद कुमार पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. सन्तोष पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
3. बनिता पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
4. कृष्णा पत्नी कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
5. सुमन पुत्री कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
6. शान्ति पत्नी मोमनराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
7. कमला पुत्री मोमनराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
8. सुमित्रा पुत्री मोमनराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 200 सन 2022 निर्णय दिनांक– 19/04/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 9 केएनएन के खाता संख्या 88/82 की कुल तादादी 14.1680हैक मृतक कुष्ण कुमार 1/10 हिस्सा व कमला 1/10 हिस्सा , शान्ति 1/10 हिस्सा , सुमित्रा 1/10 हिस्सा कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 का 13/60 हिस्सा वादी संख्या 2 का 3/20 हिस्साव प्रतिवादी संख्या 4 का 1/30 हिस्सा का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है, एवं रोही मौजा चक 10 केएनएन के खाता संख्या 59/59 की कुल 2.2770हैक में मृतक कुष्णकुमार 1/10 हिस्सा , कमला 1/10 हिस्सा , शान्ति 1/10 हिस्सा , सुमित्रा 1/10 हिस्सा , सुमित्रा 1/10 हिस्सा कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 का 13/60 हिस्सा वादी संख्या 2 का 3/20 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 4 का 1/30 हिस्सा का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/04/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner